न्यायालय सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 131/2021 GCMS 2021/246

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर	1. अखाराम पुत्र सोनाराम जाति बावरी निवासी 23 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 2. तुलसी देवी पुत्री लच्छू राम जाति बावरी निवासी 23 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 3. नत्थुराम पुत्र माहीराम जाति बावरी निवासी 23 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 4. पेमा पुत्र लच्छूराम जाति बावरी निवासी 23 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 5. पूर्ण राम पुत्र लच्छूराम जाति बावरी निवासी 23 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 6. रामकिशन पुत्र नत्थुराम जाति बावरी निवासी 23 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 7. रामलाल पुत्र रूपाराम जाति बावरी निवासी 23 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 8. लुनाराम पुत्र सतु जाति बावरी निवासी 23 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 9. श्योकरणराम पुत्र रूपाराम जाति बावरी निवासी 23 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 10. शान्ति देवी पत्नी लच्छूराम जाति बावरी निवासी 23 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 11. शिवजीराम पुत्र लच्छूराम जाति बावरी निवासी 23 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 12. सुखाराम पुत्र लच्छू राम जाति बावरी निवासी 23 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 13. सतु पुत्र माहीराम जाति बावरी निवासी 23 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 14. सोपतराम पुत्र सतु जाति बावरी निवासी 23 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 15. हरीराम पुत्र लच्छूराम जाति बावरी निवासी 23 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 16. अमीचन्द पुत्र पोखरराम जाति नायक निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। 17. धन्नाराम पुत्र पोखरराम जाति नायक निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। 18. भागीरथ पुत्र पोखरराम जाति नायक निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। 19. लेखू पुत्र पोखरराम जाति नायक निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। 20. पूरन पुत्र लछमन जाति नायक निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर।

तारीख रजू:- 24.11.2021

उपस्थित:
1. पैरोकार राज
2. श्री गुरदेव सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

--निर्णय-- दिनांक : 20.09.2023

1- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 23 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 180/185 व खाता संख्या 70/80 के मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 3 ता 7, 15, 16, 25 की कुल 1.999 हेक्टैयर कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण द्वारा बिना रूपान्तरण करवाये उक्त भूमि पर कॉलोनी का निर्माण कर रखा है। जिसमें आबादी बसी हुई है। प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये आवासीय कॉलोनी का निर्माण कर अकृषि योग्य बना दी है। अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि चक 23 ओ के मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 3 ता 7, 15, 16, 25 की कुल 1.999 हेक्टैयर कृषि भूमि को बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिए जावे।

2- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 की ओर से अधिवक्ता श्री गुरदेव सिंह उपस्थित आए। जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार कानूनन किसी भी काश्तकार खातेदार को अपनी कृषि भूमि के 1/50 हिस्सा में मकान निर्माण करने के लिये कृषि भूमि को अकृषि भूमि रूपान्तरण करवाने की जरूरत नहीं है। पंचायत ने मौका पर पक्की सडके बना कर दी हैं। बिजली पानी का कनेक्शन चालू है। इतना ही नही राज्य सरकार ने 1957 से मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 25 व 16 में सरकारी स्कूल भवन का निर्माण किया जो अब 12 वीं का स्कूल है। जिसमें करीब 200 छात्र छात्राए अध्ययन कर रहे है। मुरब्बा नम्बर 76 में पंचायत समिति श्रीकरणपुर द्वारा आंगनबाडी का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा प्रतिवादीगण ने अपने धर्म आस्था के लिए विवादित भूमि में मन्दिर का निर्माण करवाया है। इसके अलावा विवादित भूमि बारानी भूमि है, सह हिस्सेदारो ने पीने के पानी की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 22 में खेती की जा रही है। जिनमें किसी भी किस्म का कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। इतना ही नहीं सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनवा कर दिये है। अतः जवाबदावा पेश कर अर्ज है कि प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद वादी खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 3,16,19 की तलवी के सम्मन पर रिपोर्ट प्राप्त हुई कि सायल फौत हो चुके है। प्रतिवादी संख्या 1, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20 व प्रतिवादी संख्या 3, 16, 19 के वारिसान की तामील जरिए दैनिक अखबार प्रकाशन से करवाई गई। इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। पैरोकार राज व प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए जाकर सीधी बहस सुनी जावे।

3- बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, जवाबदावा प्रतिवादीगण, रिपोर्ट पटवार मण्डल 23 ओ का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 23 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 70/80 की प्रति, चक 23 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

खाता संख्या 180/185 की प्रति, रिपोर्ट पटवार मण्डल 23 ओ के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 23 ओ के मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 3 ता 7, 15, 16, 25 की कुल 1.999 हेक्टैयर भूमि को बहक सरकार लिये जाने बाबत निवेदन किया है। चक 23 ओ के मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 3 ता 7, 15, 16, 25 की कुल 1.999 हेक्टैयर बारानी भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। रिपोर्ट पटवारी हल्का 23 ओ के मुताबिक चक 23 ओ के मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 3 ता 7, 15, 16, 25 की कुल 1.999 हेक्टैयर बारानी भूमि है। जिसका अकृषि कार्य हेतु उपयोग हो रहा है। उक्त भूमि पर 23 ओ कॉलोनी, राजकीय विद्यालय, आंगनबाडी केन्द्र, मन्दिर बने हुए है। अतः वाद पत्र वादी, रिपोर्ट पटवार मण्डल 23 ओ के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 23 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 70/80 के मुरव्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 3 की 0.253 हैक्टेयर व खाता संख्या 180/185 के मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 4 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.228 हैक्टेयर कुल 1.999 हेक्टैयर बारानी भूमि बहक सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को बहक सरकार लिया जाकर कब्जा प्राप्त किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 20.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर बनाम अम्या राम आदि
धारा अन्तर्गत 177 आरटीए मुकदमा नम्बर 131/2021
निर्णय दिनांक :- 20.09.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी पैरोकार** राज व **प्रतिवादी अधिवक्ता** श्री गुरदेव सिंह पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 23 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 70/80 के मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 3 की 0.253 हैक्टेयर व खाता संख्या 180/185 के मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 4 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.228 हैक्टेयर कुल 1.999 हैक्टेयर बारानी भूमि बहक सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को बहक सरकार लिया जाकर कब्जा प्राप्त किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 20.09.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	00	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	00	**00**	योग	**04**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांक: 20.09.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/488
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)